

3 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अदालत के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा निपटारा हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शकलित धारा 14 संशोधन (वै. 2002) की धारा पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर दायित्व दफतर है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बंसवाड़ा (राज.)

